प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

(माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश)

दांडिक अपील क्रमांक 356/2007

गोपाल

विरुद्

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>निर्णय</u>

दिनांक 12/08/2009 को सूचीबद्ध

सही

श्री टी.पी. शर्मा,

न्यायाधीश

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 356/2007</u>

<u>अपीलकर्ता</u> गोपाल, पिता रामदयाल, आयु लगभग 35 वर्ष, निवासी देवगांव, खरोरा, जिला रायपुर (छ.ग.)

(जेल में)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रतिवादी</u> छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा जिला दण्डाधिकारी. रायपुर (छ.ग.)

(अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत)

(माननीय श्री टी.पी. शर्मा, न्यायाधीश)

श्री एन.के. चटर्जी, अधिवक्ता अपीलकर्ता की ओर से।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता राज्य/प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 12 अगस्त, 2009 को घोषित किया गया)

1. यह अपील, दिनांक 30.03.2007 को पारित किए गए दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसे चतुर्दश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने सत्र प्रकरण क्रमांक 28/2007 में पारित किया था। जिसमें विद्वान् चतुर्दश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत दोषी पाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹500/- अर्थदण्ड, एवं अर्थदण्ड न भरने पर 3 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का दण्ड दिया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभियोकत्री की आयु का कोई प्रमाण उपलब्ध न होने के बावजूद, अधीनस्त न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराकर दण्डित किया, जिससे अवैधता की गई है।

3. अभियोजन का संक्षिप्त कथन यह है कि अभियोकत्री, जिसकी मानसिक स्थिति अविकसित थी, घटना के समय (11.11.2006) लगभग 17 वर्ष की थी। घटना दोपहर 1 बजे के आसपास, थाना खरोरा, जिला रायपुर के अंतर्गत ग्राम देवगांव स्थित उसके घर में हुई। अभियुक्त अभियोकत्री के घर में घुस आया और जब वह अकेली थी, तब उसके साथ बलात्कार किया। अगले दिन अभियोकत्री ने घटना अपनी माँ को बताई, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई (प्रदर्श पी/24)। अभियोकत्री को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिल्दा (प्रदर्श पी/5) पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजा गया। जहाँ उसने चिकित्सकीय परीक्षण में सहयोग नहीं किया। उसकी आयु व शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख प्रदर्श पी/6 में किया गया तथा उसे मेडिकल कॉलेज, रायपुर भेजा गया, जहाँ डॉ. अनीता यदु (अ. सा.-4) द्वारा उसका परीक्षण किया गया तथा उसके दोनों जबड़ो में

28 दाँत पाए। हाइमेन एक अंगुली स्वीकार कर रहा था, हाइमेन विस्तारित था, किन्तु कोई नया आघात नहीं पाया गया। योनि भी विस्तारित पाई गई। डॉक्टर की राय थी कि अभियोकत्री के साथ सम्भोग किया गया होगा। उसके कपड़े, जिनमें वीर्य धब्बे पाए गए थे, की जाँच की गई और उन्हें सील कर लिया गया। उसके कपड़े प्रदर्श पी/1 के तहत ज़ब्त किए गए। अभियुक्त का अंडरवियर प्रदर्श पी/2 के तहत ज़ब्त किया गया। अभियुक्त का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और डॉ. एस.आर. बंजारे (अ.सा.-3) ने प्रदर्श पी /3 में यह राय दी कि अभियुक्त यौन सम्भोग करने में सक्षम है। योनि स्मीयर की स्लाइड्स ली गईं और सीलबंद की गईं। स्लाइड्स एवं कपड़े प्रदर्श पी/6 के तहत ज़ब्त किए गए। अभियोकत्री की आयु के निर्धारण हेतु अस्थिकरण परीक्षण किया गया और उसकी आयु 13 से 18 वर्ष के बीच पाई गई (प्रदर्श पी/8)। मौका नक्शा प्रदर्श पी/18 में तैयार किया गया। वस्तुएँ रासायनिक परीक्षण हेतु भेजी गईं और अभियोकत्री की स्लाइड्स तथा अभियुक्त के अंडरवियर पर मानव वीर्य की उपस्थिति पाई गई (प्रदर्श पी/20)। पटवारी द्वारा स्पॉट मैप प्रदर्श पी/21 में तैयार किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.गवाहों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ((संक्षेप) में सहिंता) की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। जाँच पूर्ण होने के बाद अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहाँ से मामला सत्र न्यायालय, रायपुर को विचारण हेतु उपार्पित किया गया। तत्पश्चात विद्वान् चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर को विचारण हेतु अंतरित किया गया।

5.अभियुक्त/अपीलकर्ता का अपराध सिद्ध करने हेतु अभियोजन ने 15 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया, जहाँ उसने अपने विरुद्ध परिस्थितियों से इंकार किया और निर्दोषता व झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। अपीलकर्ता द्वारा विशेष प्रतिरक्षा यह ली गई कि एक

दिलीप नामक व्यक्ति अभियोकत्री के घर जाया करता था और अभियोकत्री की माँ को संदेह था कि उसकी पुत्री गर्भवती है। अभियुक्त गोपाल अभियोकत्री का पड़ोसी है और वह भी अभियोकत्री के घर जाया करता था। परिवार की बदनामी से बचाने के उद्देश्य से अभियोकत्री की माँ ने अपीलकर्ता को झूठा फँसाया है।

6.माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त, अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर उपर्युक्तानुसार दण्डित किया।

7.मैंने श्री एन.के. चटर्जी, अपीलकर्ता के अधिवक्ता तथा श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, राज्य/प्रतिवादी के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने एवं आक्षेपित निर्णय तथा अधीनस्त न्यायालय का अभिलेख देखा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8.अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क यह है कि अभियोजन पर यह दायित्व था कि अभियोकत्री की आयु 16 वर्ष से कम सिद्ध करे, उसका मस्तिष्क अविकसित है तथा सहमति का अभाव है। किंतु अभियोजन यौनाचार के उपर्युक्त आवश्यक तत्वों को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः अपीलकर्ता की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश विधि सम्मत नहीं है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोकत्री (अ सा-1) ने अपने कथन के अनुच्छेद 7 में यह कहा कि अन्य व्यक्तियों ने भी उसके साथ संभोग किया है और अनुच्छेद 9 में उसने यह विशेष रूप से स्वीकार किया कि अपराध के समय उसने कोई आपत्ति नहीं की। अपराध के उपरान्त भी वह खेलने गई और अगले दिन जब उसकी माँ ने दबाव देकर घटना के बारे में पूछा, तब उसने घटना बताई। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट सहमति का मामला है। न्यायालय द्वारा अभियोकत्री की आयु 17 वर्ष निर्धारित की गई है। उसका अस्थिकरण परीक्षण 13 से 18 वर्ष के मध्य दर्शाता है और यदि ऊपरी सीमा में 2 वर्ष का लाभ न दिया जाए तो यह आयु 16 वर्ष से अधिक अर्थात् 18

वर्ष होती है। वह यौनाचार की अभ्यस्त है और अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध स्वीकार कर चुकी है। यह तथ्य अभियोजन की कहानी को झूठा साबित करता है और अपीलकर्ता की निर्दोषता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।

9.विपरीत पक्ष में, राज्य/प्रतिवादी के अधिवक्ता ने निर्णय का समर्थन किया और तर्क दिया कि यद्यपि अभियोजन ने अभियोकत्री की आयु का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु यह सिद्ध हो चुका है कि अभियोकत्री सामान्य बातों को समझने में असमर्थ थी और उसका मस्तिष्क अविकसित था। अतः सहमति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियोकत्री का कथन ही यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अभियुक्त ने उसके साथ यौन संबंध स्थापित किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

10.पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने हेतु मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। जहाँ तक अभियोकत्री की आयु का प्रश्न है, न्यायालय ने स्वयं उसकी आयु 17 वर्ष निर्धारित की है पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के लिए मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है। जहाँ तक अभियोकत्री की आयु का प्रश्न है, न्यायालय ने स्वयं उसकी आयु 17 वर्ष निर्धारित की है। अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट उसकी आयु 13 से 18 वर्ष के मध्य दर्शाती है।

11. **जया माला बनाम गृह सचिव, जम्मू एवं कश्मीर सरकार एवं अन्य**[1] प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया है कि अस्थिकरण परीक्षण से निर्धारित आयु में दोनों ओर दो वर्ष तक का अंतर हो सकता है। अभियोजन ने अभियोकत्री की आयु सिद्ध करने हेतु कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः केवल अस्थिकरण परीक्षण और संभावित भिन्नता के आधार पर यह कहना कठिन है कि घटना के समय अभियोकत्री की आयु 16 वर्ष से कम थी।

12.जहाँ तक अविकसित मस्तिष्क वाली स्त्री के साथ यौनाचार एवं अपराध में अभियुक्त/अपीलकर्ता की संलिप्तता का प्रश्न है, विद्वान् चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अभियोकत्री (आ.स -1) का परीक्षण कर यह राय दी कि अभियोकत्री सामान्य समझ से नीचे है। विस्तृत साक्ष्य भी कुछ स्थानों पर यही तथ्य दर्शाते हैं। उसने प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। अभियोकत्री (आ.स -1) ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के समय वह अपने घर में अकेली थी। उसका भाई, बहन और माँ उपस्थित नहीं थे। अभियुक्त घर में आया और बरामदे में उससे यौनाचार किया। यौनाचार पूर्ण होने के बाद अभियुक्त घर से भाग गया और वह अपनी मामी के घर गई, परंतु उसने घटना नहीं बताई और अंततः उसने घटना अपनी माँ को बताई। दुर्पती (आ.स -6), अभियोकत्री की माँ, ने अपने साक्ष्य में कहा कि घटना के दिन वह घर पर नहीं थी और सब्जी बेचकर घर आई। अगले दिन सुबह अभियोकत्री की भाभी ने बताया कि अभियुक्त ने अभियोकत्री से यौनाचार किया है। तब उसने अपनी पुत्री से पूछा, और फिर घटना को कोटवार व सरपंच को बताया तथा अंत में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। मुन्नी बाई (आ.स -8), ज ो अभियोकत्री की माँ के भाई की पत्नी है, ने कहा कि घटना के दिन लगभग 4 बजे अभियोकत्री उसके घर आई और बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया। उसने यह भी कहा कि अभियोकत्री अविकसित मस्तिष्क वाली है और अभियोकत्री ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया (मोर संग करिस हे)। उसने आगे यह भी कहा कि अभियोकत्री का मस्तिष्क अविकसित है और अभियोकत्री ने बताया कि अभियुक्त ने उसने (आ.स -8) यह भी कहा कि अभियोकत्री का मस्तिष्क अविकसित है और अभियोकत्री ने उसे बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ बलात्कार किया (मोर संग करिस हे)। फिर उसने यह घटना अभियोकत्री की माँ को अगले दिन बताई। श्रवण कुमारी (आ.स-9) ने भी मुन्नी बाई (आ.स -8) के कथन का समर्थन किया। सुषमा अहलूवालिया (आ.स -7) ने कहा कि 16.11.2006 को उसने अभियोकत्री का परीक्षण किया, किन्तु आंतरिक परीक्षण के लिए अभियोकत्री ने सहयोग नहीं किया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

तत्पश्चात उसे मेडिकल कॉलेज, रायपुर भेजा गया (प्रदर्श पी/7)। अनीता यादव (आ.स -4) ने अपने साक्ष्य में कहा कि 17.11.2006 को लगभग 4:30 बजे उसने अभियोक्त्री का परीक्षण किया और पाया कि हाइमेन एक अंगुली स्वीकार करता है तथा हाइमेन और योनि विस्तृत हैं। उसने योनि स्मीयर की तीन स्लाइड्स लीं और उन्हें सील किया। उसने अभियोक्त्री का सलवार, जिसमें वीर्य जैसे धब्बे थे, की जाँच की और यह राय दी कि अभियोक्त्री के साथ सम्भोग हुआ होगा। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि कोई नया आघात नहीं पाया गया और बार-बार संभोग के कारण हाइमेन एवं योनि विस्तारित हो गए हैं। स्लाइड्स और कपड़े चिकित्सकीय परीक्षण हेतु भेजे गए और वीर्य की उपस्थिति पाई गई (प्रदर्श पी/22), जो अभियोक्त्री के सलवार, स्लाइड्स और अभियुक्त के अंडरवियर पर मिली।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

13.इस मामले में अभियोक्त्री ही मुख्य गवाह है। उसके विस्तृत कथन और अन्य गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि अभियोक्त्री अविकसित मस्तिष्क और सामान्य समझ से नीचे की है। उसके प्रतिपरीक्षण के अनुच्छेद 7 में उसने पहले स्वीकार किया कि एक अन्य लड़के ने भी उसके साथ सम्भोग किया, पर जब विशेष रूप से पूछा गया तो उसने कहा कि वह लड़का दूसरी लड़की के साथ सम्भोग करता था। फिर उसने स्वीकार किया कि वही लड़का दूसरी लड़की के साथ उसके घर में यौनाचार करता था और उसने उस लड़के को दूसरी लड़की के साथ यौनाचार करते हुए देखा। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसी लड़के ने उसके साथ दो बार सम्भोग किया है। उसने कहा कि जब अभियुक्त ने उसका अंडरवियर हटाकर उसके साथ यौनाचार किया, तब उसने कुछ नहीं किया, बाद में उसने कहा कि वह रोई, पर अभियुक्त नहीं रुका। घटना के बाद वह खेलने चली गई और अगले दिन जब उसकी माँ ने पूछा, तब उसने घटना बताई। उसका विस्तृत कथन यह दर्शाता है कि वह सामान्य समझ की लड़की नहीं है। प्रतिपरीक्षण के अनुच्छेद 9 में अभियुक्त द्वारा दिए गए सुझाव इस तथ्य

की ओर इंगित करते हैं कि अभियोक्त्री सहमति देने वाली पक्षकार थी और उसने सम्भोग का विरोध नहीं किया।

उसने यह भी स्वीकार किया कि किसी अन्य व्यक्ति ने भी उसके साथ दो बार सम्भोग किया है। मुन्नी बाई (आ.स -7), जो अभियोक्त्री की मौसी है, और श्रवण कुमारी (आ.स-9) ने अभियोक्त्री के कथन की पुष्टि की है इस सीमा तक कि वह मुन्नी बाई के घर गई और उसे घटना बताई। फिर उन्होंने दूसरे दिन अभियोक्त्री की माँ को घटना बताने का निश्चय किया। तत्पश्चात अभियोक्त्री की माँ को घटना बताई गई और कोटवार एवं सरपंच को सूचित करने के बाद उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। अभियोक्त्री ने स्वीकार किया कि किसी अन्य लड़के ने भी उसके साथ यौनाचार किया है, पर उसने यह नहीं कहा कि वर्तमान अभियुक्त ने ऐसा नहीं किया। दूसरी ओर उसने विशेष रूप से कहा कि अपीलकर्ता ने उसके साथ सम्भोग किया है, पर उसने विरोध नहीं किया। गवाहों के कथन पर्याप्त हैं इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कि अभियोक्त्री सामान्य समझ-बूझ की लड़की नहीं थी। यौनाचार की घटना चिकित्सकीय साक्ष्य से भी पुष्ट है। अनीता यादव (आ.स-4) के बयान, कपड़े और स्लाइड्स चिकित्सीय विश्लेषण हेतु भेजे गए और वीर्य की उपस्थिति भी पाई गई (प्रदर्श पी/20), जिससे यौनाचार की घटना की पुष्टि होती है।

14 यौन अपराध की अभियोक्त्री को किसी सह-अपराधी के समान नहीं ठहराया जा सकता। वह वस्तुतः अपराध की पीड़िता है। सुप्रीम कोर्ट ने **<u>महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन</u>** के मामले में कहा है कि अभियोक्त्री को सह-अपराधी के बराबर नहीं माना जा सकता, वह वस्तुतः अपराध की पीड़िता है। निर्णय के अनुच्छेद 16 में कहा गया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"यौन अपराध की अभियोकत्री को किसी सह-अपराधी के बराबर नहीं रखा जा सकता। वह अपराध की शिकार है। साक्ष्य अधिनियम में कहीं यह नहीं कहा गया कि उसका साक्ष्य तब तक स्वीकार्य नहीं है जब तक कि वह महत्वपूर्ण तथ्यों में पुष्ट न हो। वह निःसंदेह धारा 118 के अंतर्गत सक्षम साक्षी है और उसका साक्ष्य उतना ही महत्व रखता है जितना किसी घायल का मामलों में होता है, जहाँ शारीरिक हिंसा हुई हो। उसी प्रकार की सावधानी और सतर्कता उसके साक्ष्य के मूल्यांकन में बरतनी चाहिए जैसी किसी घायल शिकायतकर्ता या गवाह के मामले में बरती जाती है, इससे अधिक नहीं। आवश्यक यह है कि न्यायालय इस तथ्य के प्रति सजग रहे कि वह उस व्यक्ति के साक्ष्य से निपट रहा है जो आरोप के परिणाम में रुचि रखता है। यदि न्यायालय इसे ध्यान में रखे और यह विश्वास कर ले कि इस साक्ष्य पर कार्यवाही की जा सकती है..."अभियोकत्री की गवाही के संबंध में, साक्ष्य अधिनियम में कोई ऐसा नियम या प्रथा विधिक रूप से सम्मिलित नहीं है जो धारा 114 की दृष्टांत (खा) के समान हो, जिसके अनुसार पुष्टिकरण आवश्यक हो। यदि किसी कारणवश न्यायालय अभियोकत्री की गवाही पर निहित भरोसा करने में संकोच करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य की तलाश कर सकता है जो उसकी गवाही को आश्वासन प्रदान करे, परन्तु जो सह-अपराधी के मामले में आवश्यक पुष्टिकरण से भिन्न हो। अभियोकत्री की गवाही को आश्वस्त करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। परन्तु यदि अभियोकत्री वयस्क है और पूर्ण समझ-बूझ की है, तो न्यायालय उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि कर सकता है, जब तक कि यह प्रदर्शित न हो कि वह दुर्बल या अविश्वसनीय है। यदि मामले की परिस्थितियों से यह स्पष्ट हो कि अभियोकत्री के पास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त को झूठा फँसाने का कोई प्रबल कारण नहीं है, तो न्यायालय को सामान्यतः उसकी गवाही स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

15. वर्तमान मामले में अभियोकत्री के कथन का समर्थन चिकित्सीय साक्ष्य एवं अन्य गवाहों के साक्ष्य द्वारा होता है, जो इस निष्कर्ष पर पहुँचने हेतु पर्याप्त है कि वर्तमान अभियुक्त ने अभियोकत्री के साथ यौन-संबंध स्थापित किया। साथ ही, यह तथ्य भी ध्यान में रखते हुए कि अभियोकत्री का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तथा वह सामान्य समझ-बूझ की स्त्री नहीं है, मैं किसी प्रकार की सहमति का मामला नहीं पाता।

16. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषसिद्ध कर पूर्वोक्तानुसार दण्डित किया है। अपीलकर्ता की दोषसिद्धि ठोस एवं निर्णायक साक्ष्य पर आधारित है, जो विश्वास को प्रेरित करती है और विधि के अंतर्गत स्थायी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. जहाँ तक दण्ड के प्रश्न का संबंध है, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कि अभियोकत्री अपनी गलत या सही बातों को समझने में असमर्थ थी, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ता को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500/- के जुर्माने से दण्डित किया है। माननीय चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को विधिसम्मत रूप से दण्डित किया है। अपीलकर्ता किसी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नहीं है।

18. उपर्युक्त कारणों से, मैं अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने वाले निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता या त्रुटि नहीं पाता हूँ | यह अपील गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

सही

टी. पी. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी। **Translated by PANKAJ SINGH THAKUR**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur